

अध्याय-२१

स्थानान्तरण

४७४. विक्रीकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश की पीठें प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित की गई हैं और उनकी क्षेत्राधिकारिता भी पृथक-पृथक रूप से निर्धारित कर दी गई है इसलिये अधिकरण के अधिकारीगण/कर्मचारीगण की नियुक्ति/तैनाती/स्थानान्तरण/प्रोन्नति प्रदेश में किसी भी स्थान पर पीठ के कार्यालय में करना आवश्यक है। अतः अधिकरण के कर्मचारियों की पहली सेवा शर्त यह है कि उन्हें प्रदेश में किसी भी पीठ के कार्यालय में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकता है।
४७५. सामान्यतया विक्रीकर अधिकरण के अधिकारीगण/कर्मचारीगण का स्थानान्तरण एक पीठ से दूसरी पीठ कार्यालय अथवा मुख्यालय पर तीन वर्ष के बाद विचारणीय होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी/कर्मचारी को एक स्थान पर पाँच वर्ष रखे जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
४७६. वर्ग "ग" के कर्मचारियों को एक जनपद में दस वर्ष से अधिक और एक पटल पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा और उनका स्थानान्तरण जनहित में अवश्य किया जायेगा।
४७७. वर्ग "घ" के कर्मचारियों को भी प्रशासनिक कारणों से जनहित में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
४७८. अधिकरण के सभी राजपत्रित / अराजपत्रित कर्मचारी अपनी स्वेच्छानुसार अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण अपना स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपने आवेदन-पत्र में तीन स्थानों का विकल्प देना होगा ताकि यथासंभव उन्हें कोई स्थान उपलब्ध हो सके परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनके आवेदन-पत्र पर स्थानान्तरण अवश्य कर दिया जाये। यदि तीन वर्ष की अवधि से पूर्व किसी कर्मचारी के आवेदन पर स्थानान्तरण किया जाता है तो उसे कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय न होगा।
४७९. ऐसे कर्मचारी जिनको एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है और स्थानान्तरण की नीति के अनुसार उसका स्थानान्तरण हो सकता है तो उन्हें प्रत्येक वर्ष १५ अप्रैल तक अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विकल्पस्वरूप कम से कम तीन स्थानों की सूचना अध्यक्ष के पास लिखित भेज देनी चाहिये ताकि उनका स्थानान्तरण यथासंभव उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जा सके और उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी का स्थानान्तरण केवल विकल्प के आधार पर ही किया जायेगा बल्कि कर्मचारी का स्थानान्तरण किसी अन्यत्र स्थान पर भी किया जा सकता है।

४८०. विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक कारण से किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है।
४८१. प्रोन्नति के फलस्वरूप भी कर्मचारीगण का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी किया जा सकता है परन्तु ऐसे कर्मचारी को जिसकी प्रोन्नति की निकट भविष्य में संभावना हो अपना विकल्प सदस्य के माध्यम से अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजने की स्वतंत्रता रहेगी।
४८२. यदि किसी कर्मचारी के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसके कारण उसे अपने पैतृक जनपद अथवा उसके निकट स्थानान्तरण करना आवश्यक है/हो तो कर्मचारी उसके लिये अपनी समस्त उन परिस्थितियों का वर्णन करेगा जिनके कारण उसका स्थानान्तरण करना अपरिहार्य हो।
४८३. (१) प्रत्येक पीठ के पीठासीन अधिकारी तथा मुन्सरिम का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे समान वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पटलों का पारस्परिक परिवर्तन प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् अनिवार्य रूप से करेंगे।
- (२) मुन्सरिम पटल परिवर्तन के सम्बन्ध में अपनी आख्या पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वे उसके अनुसार अपने कार्यालय में पटलों का पारस्परिक परिवर्तन करेंगे उससे मुख्यालय से किसी भी प्रकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 ई०

पी० 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017’ पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण आदि के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

- | | | |
|---|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना | 1. | <p>(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' है।</p> <p>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।</p> <p>(3) यह अधिनियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा, उच्च न्यायालय के नियन्त्रणाधीन समस्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राज्याधीन सेवाओं के लिए लागू होगी और इसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निगम, परिषद् तथा स्थानीय निकायों पर भी लागू कर सकेगी।</p> |
| अध्यारोही प्रभाव | 2. | यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमों में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी। |
| परिभाषाएं | 3. | <p>जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में-</p> <p>(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;</p> <p>(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;</p> <p>(घ) 'गम्भीर रोगी' से गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिक की पति/पत्नी एवं परिष्ठा (जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं माता-पिता)</p> |

और गम्भीर रोगों के अन्तर्गत लैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एचआईवी (पोजिटिव), हृदय रोग (बाय पास सर्जरी अथवा एंजियोप्लास्ट्री किया गया हो), किडनी रोग (दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर, किडनी ट्रांसप्लान्ट किया गया हो अथवा एक किडनी निकाली गयी हो), द्यूबेर कुलोसिस (दोनों फेफड़े, संक्रमित हो अथवा एक फेफड़ा पूर्णतः खराब हो), स्पाइन की हड्डी टूटने सांस (थर्ड स्टेज), मिर्गी, मानसिक रोग अथवा कोई अन्य ऐसा रोग, जिसके कारण कार्मिक की किसी क्षेत्र विशेष में तैनाती उचित न होने की संस्तुति राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई हो, और जिसका अनुमोदन अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित समिति द्वारा किया गया हो, सम्मिलित है।

(क) विकलांगता से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है, जिसमें पूर्ण अन्धापन, दोनों पांव रहित, एक अपूर्ण पांव, लकवा ग्रस्त (एक हाथ या एक पांव) अथवा 'प्रतिशत विकलांगता' के सन्दर्भ में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता सम्मिलित है।

(ख) 'सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र' से गम्भीर रोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राज्य मेडिकल बोर्ड, राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्थान अथवा राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य/जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकारी/समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र तथा विकलांगता के लिए सम्बन्धित अधिनियम में दिए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है।

(ग) 'स्वस्थता प्रमाण-पत्र' से गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की श्रेणी के कार्मिकों द्वारा उपचासधीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है।

(घ) 'वरिष्ठ कार्मिक' से प्रत्येक वर्ष की आधार तिथि 31 मई को, जहाँ सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष वहाँ 55 वर्ष तथा जहाँ सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष वहाँ 60 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले कार्मिक अभिप्रेत है।

(ङ) 'सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र' से इस अधिनियम के अधीन जनपदवार

परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 के अनुसार उदाहरणार्थ चिन्हित दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र अभिप्रेत है:

(अ) 'तैनाती स्थान' से कार्मिक के स्थानान्तरण हेतु विचार के समय उसकी तैनाती का स्थान/स्थल अभिप्रेत है।

कार्मिकों की पदस्थापना हेतु निर्मांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा; अर्थात्:-

- (1) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है;
- (2) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किए जाने की व्यवस्था है;
- (3) ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद

स्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

(1) प्रत्येक विभाग का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, यथास्थिति, धारा 4 में उपबन्धित वर्गीकरण के अनुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्य स्थल को स्पष्ट करते हुए चिन्हांकन की कार्यवाही करेगा और उसके प्रकटीकरण के लिए उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रदर्शन सहित ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसा प्रकाशन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक हो।

(2) ऐसे विभाग, जिनके सभी कार्यस्थल अधिनियम के परिशिष्टों में निर्धारित मानकानुसार अथवा उपर्युक्त उप धारा (1) के अनुसार अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मानकों का पुनर्निर्धारण कर सकेंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण के निम्नलिखित प्रकार होंगे; अर्थात् :-

- (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण;
- (ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण; और
- (ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे; अर्थात् :-

अनिवार्य
स्थानान्तरण के
मानक

(क) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 10 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा के प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे;

(ख) ऐसे कार्मिक, जो सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं किन्तु उनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उपरोक्तानुसार रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किये जायेंगे ;

परन्तु यह कि सुगम क्षेत्र में कुल सेवाकाल की गणना हेतु एतद्विषयक धारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों के अनुसार सुगम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा;

(ग) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्मिकों को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा और उनके दुर्गम स्थान से अयमुक्त होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख उनके स्थानान्तरण आदेश में भी किया जायेगा;

(घ) निम्न श्रेणियों में आने वाले कार्मिकों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी; अर्थात् :-

(एक) वरिष्ठ कार्मिक;

(दो) ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और

(तीन) धारा 3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि संलग्न प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(चार) ऐसे पति-पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हों।

(पाँच) सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी।

स्थानान्तरण की
अधिकतम सीमा

6. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :-

सुगम स्थान से दुर्गम स्थान में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित

संवर्ग में दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी, अर्थात् ऐसे कार्मिक, जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तथा जो 'छूट' की श्रेणी में नहीं आते हों, उन कार्मिकों को उनकी सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि की तैनाती के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए सम्बन्धित संवर्ग के दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही स्थानान्तरण हेतु चिन्हित किया जायेगा।

सुगम क्षेत्र से दुर्गम 9.
क्षेत्र में अनिवार्य
स्थानान्तरण के
लिए पात्र कार्मिकों
की सूची तैयार
करना एवं विकल्प
मांगा जाना

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार होने के पश्चात् ऐसी सूची, दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा सूची के कार्मिकों की संभावित रिक्तियों की सूची प्रकाशित/परिचालित करते हुए पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम स्थानों, जहाँ वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जायेंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम 10.
क्षेत्र में अनिवार्य
स्थानान्तरण के
मानक

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के निम्न मानक होंगे, अर्थात्:-

(क) दुर्गम क्षेत्र में अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर 03 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर 03 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत है किन्तु उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरित किए जाएंगे। ऐसी गणना करने के लिए द्वारा 3 में निर्दिष्ट परिशिष्टों में दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के परन्तुक का भी संज्ञान लिया जायेगा।

परन्तु यह कि इस अवधि की गणना करते समय केवल वही अवधि ली जायेगी, जिसमें कार्मिक वास्तविक रूप में दुर्गम स्थान पर कार्यरत रहा हो। यदि वह सुगम स्थान पर सम्बद्ध रहा हो तो सम्बद्धता अवधि तथा एक वर्ष में एक माह से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर रहा हो तो इस अवधि को दुर्गम स्थान की तैनाती की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरण की 11. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी; अर्थात् :-

(क) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण सम्बन्धित संवर्ग में सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं धारा 7 के अधीन संभावित रिक्तियों की कुल संख्या की सीमा तक ही किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की गणना सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा की अवधि के क्रम में की जायेगी; अर्थात् :-

(ख) ऐसे कार्मिकों को, जो दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती स्थल पर 03 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है अथवा सम्पूर्ण सेवा अवधि में उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती 10 वर्ष से अधिक है, को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम (Descending Order) में रखते हुए संवर्ग में उपरोक्तानुसार सुगम क्षेत्र में रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक ही अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

दुर्गम क्षेत्र से सुगम 12. क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची तैयार करना एवं विकल्प मांगा जाना

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की एक सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची, सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा कार्मिकों की सम्भावित रिक्तियों को प्रकाशित/परिचालित करते हुए स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुरोध के आधार 13. पर स्थानान्तरण

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जायेगी; अर्थात् :-

- (1) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए कोई भी कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र होगा;
 - (2) दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा; किन्तु स्थानान्तरण हेतु इच्छुक स्थान उसके गृह विकास खण्ड के बाहर हो और ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी।
 - (3) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हों तो वे तदनुसार सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्य स्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति-पत्नी, यथा लागू सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।
 - (4) कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) धारा-3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र/स्थान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र होंगे;
 - (5) मानसिक रूप से विकसित अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं, तथा देखभाल/नियंत्रण आदि के लिए पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर हैं, ऐसी दशा में उनके माता-पिता मेडिकल बोर्ड के एतद्विषयक प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने बच्चे की विकृति की समुचित व्यवस्था के लिए दुर्गम से सुगम अथवा सुगम से दुर्गम क्षेत्र/स्थान में स्थानान्तरण के अनुरोध करने हेतु पात्र होंगे; तथा
 - (6) विधवा, दिवंगत, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा बरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- टिप्पणी: अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन धारा 12 के अधीन प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जा सकेगा और उर्रे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य न होगा।

- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र मांगा जाना 14. उपलब्ध रिक्तियों तथा सम्भावित रिक्तियों को सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए कार्मिकों से अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प के साथ आवेदन-पत्र मांगे जाएंगे। कार्मिक द्वारा विकल्प प्राथमिकता क्रम में दिया जाना अनिवार्य होगा।
- स्थानान्तरण हेतु गणना के लिए नियत तिथि का निर्धारण 15. (1) स्थानान्तरण के उद्देश्य से अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की तिथि के आधार पर की जायेगी।
(2) ऐसे सभी कार्यालय/अधिष्ठान, जहां पटल/कार्यभार परिवर्तन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां, पटल/कार्यभार का परिवर्तन/स्थानान्तरण 05 वर्ष के अन्तराल पर किये जा सकेंगे।
- स्थानान्तरण समिति का गठन एवं समिति के वायित्व 16. (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायेंगे। शासन स्तर पर वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। उपर्युक्त तीनों शाखाओं के अधीन विभागों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति में शाखा के किसी अन्य विभाग के अधिकारी का नामांकन सम्बन्धित शाखा प्रमुख द्वारा किया जायेगा।
(2) जनपद स्तरीय संवर्गों के कार्मिकों के जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण हेतु बनाई गई प्रत्येक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।
(3) वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव, आवेदन पत्र एवं विकल्प तथा दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों की रिक्तियों के विवरण सम्बन्धित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। उपरोक्त धारा 9, 12 एवं 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सत्यापित सूची भी स्थानान्तरण समिति के समक्ष रखी जायेगी।
(4) समिति स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक कार्मिक, जिसका विवरण समिति के समक्ष रखा गया है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के आधार पर विचार करके कार्यवृत्त तैयार करेगी,

जिसमें स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों को रिक्ति आवंटित होने/करने का आधार यथा विकल्प, 'स्वयं के अनुरोध', चिकित्सा, 'विकलांगता', 'वैरिष्ठ कार्मिक' आदि स्पष्टतः अंकित किया जायेगा। समिति अपने कार्यवृत्त में एक अलग सूची में उन कार्मिकों के सम्बन्ध में भी कार्रवाई सहित उल्लेख करेगी, जिनका स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार संस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है।

- (5) स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश सहायक प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

स्थानान्तरण समिति 17. द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावों पर विचार किया जाना

- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण के प्रस्तावों पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न क्रमानुसार विचार किया जाएगा :-

- (क) सुगम स्थान से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :

स्थानान्तरण समिति द्वारा सर्वप्रथम सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा; अर्थात् -

सर्वप्रथम स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में सम्पूर्ण सेवा अवधि में सबसे अधिक अवधि व्यतीत करने वाले कार्मिक से प्रारम्भ किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र की रिक्ति के लिए कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प को स्वीकार किया जायेगा; अर्थात् -

सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में एक-एक करके कार्मिकों पर विचार किया जायेगा और विकल्प के अनुसार उपलब्ध रिक्ति उन्हें आवंटित की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि स्थानान्तरण हेतु चिन्हित कार्मिकों में से एक से अधिक कार्मिकों ने दुर्गम क्षेत्र की चिन्हित किसी रिक्ति विशेष हेतु समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया है तो ऐसी रिक्ति विकल्प देने वाले कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक को आवंटित की जायेगी, जिसने सुगम क्षेत्र में सबसे कम अवधि की सेवा की हो।

परन्तु यह और कि यदि उक्तानुसार विचार करने के पश्चात् भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार इच्छित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है अथवा ऐसा कोई कार्मिक है, जिसने विकल्प नहीं दिया है तो स्थानान्तरण समिति द्वारा ऐसे अवशेष

कार्मिकों तथा अग्रोह उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक की सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :-

खण्ड (क) के अनिवार्य स्थानान्तरण के परचात् अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्नलिखित क्रम में विचार किया जायेगा :-

(एक)- गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागू) की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर अनुरोध;

(दो)- मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध;

(तीन)-सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो;

(चार)-उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध;

(पाँच)-विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता, एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध;

(छ)-दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(सप्त)- अन्त में, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध;

(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :-

स्थानान्तरण समिति द्वारा खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित स्थानान्तरण पर विचार करने के परचात् दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण को निम्नवत् निरतारित किया जायेगा :-

(एक) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा के अनुसार अधिकतम अवधि के क्रम में सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम (Descending Order) में सूचीबद्ध किया जायेगा;

(दो) उपर्युक्त के अनुसार तैयार की गई सूची में से उत्तराखण्ड सरकार

की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को रिक्ति की स्थिति में ऐच्छिक स्थान आबंटित किया जायेगा;

(तीन) सूची में से दुर्गम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार ऐच्छिक स्थान आबंटित किया जायेगा। इसी क्रम में अन्य कार्मिकों को भी अवरोही क्रम (Descending Order) में ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने पर आबंटित किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि सुगम क्षेत्र की किसी रिक्ति विशेष के लिए एक से अधिक कार्मिकों द्वारा समान प्राथमिकता क्रम में विकल्प दिया जाता है तो ऐसी रिक्ति ऐसे कार्मिक को आबंटित की जायेगी, जिसने दुर्गम क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा की हो।

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्तानुसार विचार करने के परचात भी कतिपय ऐसे कार्मिक अवशेष रहते हैं, जिन्हें उनके द्वारा दिये विकल्प के अनुसार रिक्त स्थान उपलब्ध न हो सके, तो स्थानान्तरण समिति द्वारा अवशेष कार्मिकों तथा अवशेष उपलब्ध रिक्तियों की सूची उनके मूल प्रकाशन/चिन्हीकरण के क्रमानुसार तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक को सूची में उसके क्रमानुसार रिक्तियों की सूची में समान क्रम में अंकित रिक्ति आबंटित कर दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण समिति कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करते हुए निर्णय लेगी:-

(क) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा;

(ख) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं गैर-प्रशासकीय कार्मिकों तथा समूह 'घ' के कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जा सकेगा। 'गृह जनपद' से ऐसा गाँव/हल्का/तहसील आदि अभिप्रेत है, जिसका वह मूल निवासी है;

(ग) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम में नहीं किया जायेगा तथा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कार्मिक को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 05 वर्ष तक तैनात नहीं किया

जायेगा।

(घ) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्रावधान उन पर भी सथावत लागू होंगे।

(ङ) स्थानान्तरण संवर्गीय पद/कार्यस्थल के लिए ही किये जायेंगे तथा संवर्ग के बाहर (यथा जनपदीय/मण्डलीय संवर्ग के संदर्भ में अन्तर्जनपदीय/अन्तर्मण्डलीय) के पद/कार्यस्थल के सापेक्ष नहीं किये जायेंगे।

परन्तु यह कि दो कार्मिकों के मध्य विवाद के आधार पर किसी एक कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण अथवा विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण/दैवीय आपदा के कारण शासन द्वारा अन्यत्र विस्थापित किए गए कार्मिक का ऐच्छिक संवर्ग परिवर्तन/संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमत्त होगा कि परिवर्तित/नये संवर्ग में कार्मिक को कनिष्ठतम माना जायेगा और ऐसे परिवर्तन हेतु धारा 27 में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

नियुक्ति/पदोन्नति 18.

तथा अन्य

स्थानान्तरण पर

तैनाती की प्रक्रिया

वार्षिक/सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी नियुक्ति/पदोन्नति तथा अन्य स्थानान्तरणों पर तैनाती की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

- (1) प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी।
- (2) पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती धारा 7 के खण्ड (घ) के प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि दुर्गम क्षेत्र में पदोन्नति का पद विद्यमान/रिक्त नहीं है तो पदोन्नति के बाद सुगम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष तैनात किया जा सकेगा।

- (3) दो कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर (सुगम एवं दुर्गम अथवा दुर्गम एवं सुगम अथवा सुगम एवं सुगम कार्यस्थल में) पर

स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर पारस्परिक स्थानान्तरण किये जायेंगे, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा सुगम कार्यस्थलों में ही तैनात दो कार्मिकों को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य न होगा;

(4) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अनिरुधि न लेने आदि के आधार पर जाँच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त, जहाँ सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय, ऐसे कार्मिकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से शिकायतों के आधार पर प्रेरित होकर अथवा आकस्मिक रूप से नहीं किये जायेंगे और ऐसे स्थानान्तरणों के आदेश-पत्र में प्रशासनिक आधार अंकित किया जाना आवश्यक होगा;

(5) उपरोक्त खण्ड (1) से (4) के अनुसार की जाने वाली तैनाती/स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण से पृथक् एवं भिन्न अवधि में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे और इसके लिए प्रकरण को स्थानान्तरण समिति के समझ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह कि प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर सक्षम अधिकारी को एक स्तर ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

दुर्गम क्षेत्र में 19.
तैनाती प्रोन्नति के
लिए अनिवार्यता

(1) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया गया हो;

(2) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि का संक्रमणकाल मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कार्मिक यदि धारा 7 के खण्ड (घ) से आच्छादित होता हो तो उसे दुर्गम क्षेत्र में तैनात किए जाने अथवा बंधपत्र देने की बाध्यता न होगी;

परन्तु यह और कि यदि प्रथम पदोन्नति के समय बंधपत्र देकर दुर्गम

क्षेत्र में तैनात होने वाला कार्मिक बंधपत्र अनुसार निर्दिष्ट अवधि दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण कर लेने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु कुल अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है तो ऐसे कार्मिक के लिए द्वितीय पदोन्नति प्राप्त करने हेतु द्वितीय पदोन्नति के लिए कुल अर्हकारी सेवा की भी आधी अवधि दुर्गम क्षेत्र में सेवा की अनिवार्यता सम्बन्धी प्राविधान बाध्यकारी नहीं होगा; अर्थात् प्रथम बंधपत्र की अवधि के उपरान्त ऐसा कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में, जितनी भी सेवा करने के उपरान्त द्वितीय पदोन्नति हेतु अन्य मानक पूर्ण करता हो तो उसे द्वितीय पदोन्नति हेतु पात्र माना जायेगा ;

(3) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अर्हकारी सेवा की व्यवस्था पूर्ण रूप से 1.07.2020 से प्रभावी होगी तथा इस सिद्धि से प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत करना अनिवार्य होगा, तभी प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। सेवा नियमावलियों में उक्त आशय का प्राविधान जलग से किया जाएगा।

(4) जो कार्मिक, अपने सेवा-काल में दुर्गम क्षेत्र में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा 13 का खण्ड (1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में
तैनाती पर दिया
जाने वाला
प्रोत्साहन

20.

दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की दशा में कार्मिक को प्रोत्साहन स्वरूप निम्न लाभ अनुमन्य होंगे; अर्थात् :-

(क) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से ज्यादा ... पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष के की गई सेवा को 2 वर्ष के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

(ख) यदि कोई कार्मिक किसी एक कार्यस्थल पर तैनात है, जो 7000 फीट से कम की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम स्थान पर तैनात है तो वहां पर 1 वर्ष की की गई सेवा को 1 वर्ष 3 माह के सुगम स्थान की सेवा के समतुल्य मानी जायेगी।

स्थानान्तरण के
अधिकार प्रदान
किया जाना

21.

(1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ,

परन्तु यह कि जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है, वहां समूह 'ख' के

अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किए जायेंगे ;

(2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति (जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में) द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे ;

(3) स्थानान्तरण हेतु धारा 23 में उल्लिखित समय-सारिणी के अनुसार इंगित तिथि के पश्चात् समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किये जा सकेंगे तथा समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु अधिकृत सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

स्थानान्तरित
कार्मिकों को
अवमुक्त किया जाना

22. (1) स्थानान्तरण आदेशों में यह निर्देश अंकित किये जायेंगे कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। स्थानान्तरण आदेश की प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey time)' का ही उपभोग कर सकेंगे;

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अयकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(4) स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च

अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मतलब प्राप्त करते हुए ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु 23.
समय सारिणी

प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् समय-सारणी होगी; अर्थात्—

- (1) कार्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य स्थल का 31 मार्च
मानक के अनुसार चिन्हकरण की तिथि
सभी विभागों द्वारा शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, 01 अप्रैल
- (2) मंडल स्तर तथा जनपद स्तर पर स्थानान्तरण
समितियों का गठन किया जाना—
- (3) प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के
कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा
उपलब्ध एवं संगठित शक्तियों की सूची प्रकाशित
करना और उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित किया 15 अप्रैल
जाना—
- (4) अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से
अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे
जाने की तिथि— 20 अप्रैल,
- (5) अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की
तिथि— 30 अप्रैल
- (6) उक्त 3 व 4 में विकल्प/आवेदन पत्र प्राप्त किये
जाने की अंतिम तिथि— 15 मई
- (7) प्राप्त विकल्पों/आवेदन-पत्रों का विवरण वेबसाइट
पर प्रदर्शित किया जाना— 20 मई
- (8) स्थानान्तरण समिति की बैठक तथा सक्षम 25 मई से
प्राधिकारी को संस्तुति देने की अवधि— 05 जून
- (9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत
करने की अन्तिम तिथि— 10 जून
- (10) निर्गत किये गये स्थानान्तरण आदेश को स्थानान्तरण
उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया आदेश निर्गत
जाना— होने के 2
दिन के अन्दर

- (11) स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि— स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर
- (12) स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि— स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर

परन्तु यह कि राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा समय-सारिणी में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

स्थानान्तरण
रोकने के लिए
प्रत्यावेदन एवं
सिफारिश तथा
अधिनियम के
उल्लंघन की
दशा में दंड

24. (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अप्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रवृत्ति में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;
- (2) यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- (3) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

- कार्यभार टिप्पणी 25. स्थानान्तरित समूह के एच 'ख' के अधिकारी द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व उनके पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- संगत नियमों का 26. इस अधिनियम के अनुसरण में किये जाने वाले "स्थानान्तरण आदेश" में स्थानान्तरण कार्मिक का किए गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित घास तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने के पश्चात् उन्हें उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
- अधिनियम के 27. (1) इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक क्रियान्वयन में स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव कठिनाई का होगा ;
निवारण परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें -
(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव यन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त;
(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त;
(ग) प्रमुख सचिव, कार्मिक सदस्य होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमत्त होगा।
(2) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो अधिनियम में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में उक्त समिति विचार करके अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी, उसके उपरान्त राज्य सरकार यथा आवश्यक नियम बना सकेगी।
- स्थानान्तरण से 28. इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया सम्बन्धी सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज एवं समस्त अभिलेख अत्यन्त सावधानी पूर्वक संकलित करके

अमिलेखों का
रखा जाना

हुए व्यवस्थित रूप में एक अलग पत्रावली में रखे जायेंगे और इन्हें प्रत्येक समय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण हेतु तैयार रखा जायेगा। इस कार्य को सम्पादित किए जाने का दायित्व स्थानान्तरण आवेस निर्गत करने वाले संक्षम अधिकारी का होगा। यह पत्रावली कार्मिकों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक कार्यालय दिवस पर उपलब्ध होगी तथा किसी कार्मिक को यदि पत्रावली में से किसी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो उसे 2 प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-1

(देखिए धारा 3 का खण्ड (घ))

जनपद स्तरीय स्थल जिनकी तैनाती जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक होती है के आधार पर सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र का मानक

प्रत्येक विभाग में जिला से लेकर ग्राम स्तर तक की जाने वाली तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण अधिनियम में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य-स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट-2

(देखिए धारा 3 का खण्ड (झ))

सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में होती है वहाँ मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार जिलावार सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जायेगा। जिसमें जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र, विकासखण्ड मुख्यालय, जहाँ पर सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधा के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य-स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

परिशिष्ट-3

(देखिए धारा 3 का खण्ड (अ))

सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा

जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है उनके लिए विभाग की आवश्यकता की अनुरूप सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हीकरण प्रत्येक विभागवार सामान्य आधारभूत सुविधायें यथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज, की सुविधाओं के आधार पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण उक्त मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

परन्तु यह कि जो कार्य-स्थल 7000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित है, वहाँ 1 वर्ष की तैनाती को 2 वर्ष की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के समतुल्य माना जाएगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

जारी एस0 टोलिया,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

उत्तर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2005

अनुभाग-2

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्थानान्तरण एक आवश्यक व्यवस्था है जो प्रशासन, समाज व सरकारी सेवा सभी के हित में है। सुप्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारी कार्य में निष्पक्षता तभी संभव है जब कार्मिक अपने अधिकार क्षेत्र में सेवाभाव के साथ-साथ सुप्रशासन कार्य के दृष्टि को समान रूप से रखते हुए करें। इस हेतु यह आवश्यक है कि तैनाती के स्थान पर कर्मचारी के संबंध या लगाव न हो जिससे उसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव या दबाव पड़े। स्थानान्तरण इसी उद्देश्य से बनाई जाती है। उत्तरांचल राज्य का अधिकतम भू-भाग पर्वतीय क्षेत्रों से आच्छादित है जहाँ भी अधिकतम भू-भाग दुर्गम स्थानों में स्थित है जहाँ स्थित विभागों में कार्य कर रहे कार्मिकों की स्थिति स्थानों में कार्य कर रहे कार्मिकों से भिन्न होती है। अतः उत्तरांचल में सुगम तथा दुर्गम स्थान को ध्यान रखते हुए शासन द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण की निम्नवत् नीति निर्धारित की जाने का निर्णय लिया है :-

- (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभागवार स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाय, जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायें। शासन स्तर पर अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, एफ0आर0डी0सी0 शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण/परिवर्तन/निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। समिति इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की संस्तुति करेगी और उस संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेंगे।
- (2) स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से 03 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेंगे और प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) वार्षिक स्थानान्तरण सुगम क्षेत्रों में कुल अधिकारी/कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे और दुर्गम क्षेत्रों, जिनकी सूची संलग्न है, में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे, और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो समूह "क एवं ख" के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण के समय यह भी ध्यान में रखा जाये कि दुर्गम स्थानों में सुगम

स्थानों की अपेक्षा यथा संभव रिक्तियां अधिक न हों। यदि दुर्गम स्थानों में रिक्तियां अधिक हैं तो उन्हें भरने के लिए सुगम क्षेत्रों की 20 प्रतिशत की स्थानान्तरण सीमा को प्रशासकीय विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। विभागों द्वारा सेवा संवर्गों की आवश्यकता एवं उनकी कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं दुर्गम स्थानों में ही किया जायेगा।

3. सामान्य स्थानान्तरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाये :-

- (1) सामान्य अवधि पूरी होने पर परन्तु, सबसे अधिक समय से कार्यरत कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए।
- (2) पदोन्नति पर।
- (3) रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु।
- (4) प्रतिनियुक्ति से वापसी पर।
- (5) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण पर।
- (6) दुर्गम स्थानों में रिक्तियों की पूर्तियों हेतु।

4. तैनाती की सामान्य अवधि—

प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों को छोड़कर तैनाती की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों में एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि, सुगम क्षेत्र के लिए सामान्यतः 03 वर्ष परन्तु अधिकतम 05 वर्ष होगी। दुर्गम क्षेत्रों में सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष होगी। एक जिले में तैनात अधिकारी को पुनः उसी जिले में 05 वर्ष से पूर्व किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरूप उक्त अवधि 03 वर्ष होगी।
- (2) समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि 03-05 वर्ष होगी। यद्यपि पदों की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।
- (3) राज्य के पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 05 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
- (4) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।
- (5) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान में निर्धारित अवधि के बाद भी स्वेच्छा से रहना चाहता हो और रिक्ति को भरने के लिए प्रतिस्थानी की कमी हो, तो उसे दुर्गम स्थान में निरन्तर रखा जा सकता है।
- (6) इन दुर्गम स्थान में फिक्स टेन्यूर पूरा करने के पश्चात् उनकी इच्छानुसार 05 ऐच्छिक जगहों पर उनसे स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगा जायेगा तथा उन्हीं जगहों में से किसी स्थान पर तैनात किया जायेगा।
- (7) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए मात्र दो वर्ष ही रह गये हों तो उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन विकल्पों में एक में तैनात किया जाना।

5. श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थान—

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन गैर संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से छूट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है।
- (2) शिकायत/प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 03 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।
- (3) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है, किन्तु समूह 'ग' के प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद के

बाहर भी किये जा सकते हैं। बशर्ते कि उक्त कार्मिकों के संवर्ग, मण्डल/प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों। चूंकि कई विभागों में समूह 'ग' के संवर्ग अलग-अलग हैं। अतः विभाग समूह 'ग' के संवर्ग के अनुसार भी मानक निर्धारित कर सकते हैं।

गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव/हल्का/तहसील आदि से है, जिसका वह मूल निवासी हो।

- (4) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को 03 वर्ष के अन्तर पर दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें प्रत्येक सीट का कार्य करने का अवसर मिल सके। दुर्गम क्षेत्रों में यह अवधि 05 वर्ष अधिकतम की जा सकती है।
- (5) समूह 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा।
- (6) सम्बन्धित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पारस्परिक स्थानान्तरणों में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (7) नैनीताल मुख्यालय एवं तहसील, हल्द्वानी, देहरादून (चकराता तहसील को छोड़कर) हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अधिकारी को निरन्तर 10 वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रखा जायेगा। देहरादून के जिला प्रशासन के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवाओं को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (8) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों/जनपदों में किन्हीं पदों पर 10 वर्ष की कुल अवधि पूर्ण कर चुके हों तो, तुरन्त उसका स्थानान्तरण उक्त स्थान/जनपद से कर दिया जाय तथा किसी भी दशा में 05 वर्ष की समाप्ति तक पुनः उन्हीं जनपदों में कदापि तैनात नहीं किया जाय। जो अधिकारी ऐसे स्थानों/जनपदों में एक पद पर 03 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनका भी उक्त पद/स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जाय।

6. प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण—

- (1) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरुचि न लेने आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायें।
- (2) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से "मोटिवेटेड" शिकायतों के आधार पर अथवा 'कैज्वली' न किये जायें।
- (3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार पर अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

7. स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना—

- (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे परन्तु जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है वहां समूह 'ख' के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे।
- (2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर किये जायेंगे। ऐसी समितियों में अधिकारी पदेन नामित किये जायेंगे और एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित पदेन अधिकारी भी सदस्य होंगे।

8. मार्गदर्शक सिद्धान्त—

- (1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।
- (2) यदि पति-पत्नी सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय।
- (3) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

- (4) प्रतिकूल तथ्य न होने पर, दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

9. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना—

- (1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जाय ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के कार्यमुक्त होने की तिथि के पश्चात् उसका वेतन आहरित न करें।
- (2) दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें।
- (3) स्थानान्तरित कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थना-पत्र स्वीकार न किया जाय।
- (4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाय तथा उन्हें 02 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित रखा जाय।
- (5) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

10. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण—

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/ सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होंगे। यदि कोई सरकारी सेवक निरन्तर मान्यता प्राप्त सेवा संघों का अध्यक्ष/सचिव रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूट की अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।

11. स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी—

- (1) शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 30 जून तक पूर्ण किये जाय। 30 जून के उपरान्त कमेटी द्वारा विचारोपरान्त शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' तथा 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (2) यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो सकारण प्रस्तुत कर मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

12. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश—

- (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य संबंधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।
- (2) स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय।
- (3) यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण को रोकने के लिए स्वयं प्रत्यावेदन दिया जाता है तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण हेतु गठित कमेटी द्वारा ही विचार किया जायेगा।

चार्ज नोट-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को कार्य की जानकारी होने में समय लगना स्वाभाविक है अतः स्थानान्तरित अधिकारी महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बनायेंगे, ताकि स्थानान्तरण के फलस्वरूप आये नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा होगी। उस चार्ज नोट की एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति संबंधित नियंत्रित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

14. यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी।

15. उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डा० आर० एस० टोलिया,

मुख्य सचिव।

संख्या 1050 (1)/XXX (2)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,

संयुक्त सचिव।

1	2	3	4
1. आचार्य	1. आचार्य	4000-6000	य
	2. कनिष्ठ शिक्षक	3000-4500	य
	3. प्रमुख/सहायक	1500-3000	य
2. अध्यापक	1. अध्यापक	3000-15000	य
	2. अध्यापक सहायक	2000-8000	य
	3. सहायक अध्यापक	1500-10000	य
	4. आचार्य	4000-6000	य
	5. कनिष्ठ शिक्षक	3000-4500	य
	6. सहायक एवं सहायक	4500-7000	य
	7. सहायक अध्यापक	4000-6000	य
	8. सहायक अध्यापक	3000-4500	य
	9. सहायक अध्यापक	4000-6000	य
	10. सहायक अध्यापक	4000-6000	य
	11. सहायक अध्यापक	4000-6000	य
	12. सहायक अध्यापक	4000-6000	य